

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो0ब02/1-22/2018-16(अं०) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 मार्च, 2019
प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह (भा0प्र0से0),
सरकार का अपर सचिव

सेवा में,

श्री राजीव कुमार,
उप निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

विषय:

वित्तीय वर्ष 2018-19 में "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" अंतर्गत विशेष योजना के तहत सीतामढ़ी जिला में डुमरा स्थित माँ जानकी इन्डोर स्टेडियम के बगल में वी0आई0पी0 पवेलियन क्लब-सह-गेस्ट हाउस निर्माण योजना हेतु विपत्र कोड-35-4070000510107 अंतर्गत विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य मद में कुल ₹2,71,66,700/- (दो करोड़ इकहत्तर लाख छियासठ हजार सात सौ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 83 स्वी0 दिनांक 06.03.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में माँग संख्या-35 के मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओ पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0107-मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विशेष योजना के तहत सीतामढ़ी जिला में डुमरा स्थित माँ जानकी इन्डोर स्टेडियम के बगल में वी0आई0पी0 पवेलियन क्लब-सह-गेस्ट हाउस निर्माण योजना हेतु विपत्र कोड-35-4070000510107 अंतर्गत विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य मद में कुल ₹2,71,66,700/- (दो करोड़ इकहत्तर लाख छियासठ हजार सात सौ रूपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है।

2. आवंटित की जा रही राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जो आवंटित राशि का आहरण कर आहरित राशि को बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के पी0एल0 खाता संख्या- PLA-253 में जमा करायेंगे।

3. बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण द्वारा प्राप्त करायी गयी राशि को पी0 एल0 खाते में रखा जायेगा तथा कार्यकारी एजेंसी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, सीतामढ़ी को उनके मांग के अनुरूप राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

4. प्रत्येक परिस्थिति में व्यय आवंटित राशि के अधीन रखा जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. आवंटित की जा रही राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998 एवं अन्य अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।


6. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जायेगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 83 स्वी0 दिनांक 06.03.2019 के आलोक में नियमानुसार राशि का आहरण कर व्यय किया जायेगा।


विश्वासभाजन

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक: यो0ब02/1-22/2018- 16(आवंत) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 मार्च, 2019
प्रतिलिपि: महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
11/03


ज्ञापांक: यो0ब02/1-22/2018- 16(आवंत)/यो0वि0,पटना, दिनांक 12 मार्च, 2019
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
11/03


ज्ञापांक: यो0ब02/1-22/2018- 16(आवंत) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 मार्च, 2019
प्रतिलिपि: मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढी/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
11/03

ज्ञापांक: यो0ब02/1-22/2018- 16(आवंत) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 मार्च, 2019
प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, चतुर्थ तल, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
11/03

ज्ञापांक: यो0ब02/1-21/2017- 16(आवंत) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 मार्च, 2018
प्रतिलिपि: विभागीय मंत्री एवं सचिव के आप्त सचिव/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/श्री चन्द्रभूषण, उप निदेशक/लेखा शाखा/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को विभागीय ई-मेल के माध्यम से भेजने हेतु) योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
11/03
योजना एवं विकास विभाग